

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची - 834 004

3147
16-10-2025

संकल्प

विषय :- केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित आँगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद के तहत व्यय दर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रु०-2,000/- वार्षिक को वर्द्धित कर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रु०-8,000/- प्रतिवर्ष करने की स्वीकृति।

केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ यथा (i) पूरक पोषाहार (ii) प्रतिरक्षीकरण (iii) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (iv) सन्दर्भ सेवाएँ (v) पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य जाँच की सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती है।

2. सम्प्रति आँगनबाड़ी सेवाएँ के तहत आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना एवं संचालन विभागीय संकल्प सं०-1937, दिनांक-16.07.2018, संकल्प सं०-2972, दिनांक-16.11.2018, संकल्प सं०-1726, दिनांक-25.07.2022 एवं संकल्पांक-2147, दिनांक-31.07.2023 के प्रावधानानुसार 38,798 आँगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से संचालित की जा रही है। इन योजनाओं पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का व्यय भार का अनुपात 60 : 40 है।

उक्त विभागीय संकल्प सं०-1937, दिनांक-16.07.2018 एवं संकल्पांक-2147, दिनांक-31.07.2023 के प्रावधानानुसार आँगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रशासनिक व्यय (Administrative Expenses) मद के तहत रु०-2,000/- प्रतिवर्ष की क्रियान्वयन दर निर्धारित है।

3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशांक-CD-II-21/7/2024-CD-II, दिनांक-01.07.2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से आँगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय (Administrative Expenses) मद के व्यय दर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रु०-2,000/- वार्षिक को वर्द्धित कर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रु०-8,000/- प्रतिवर्ष किया गया है। एतद् बढी हुई निधि से आँगनबाड़ी केन्द्रों में प्रति माह रु०-500/- अर्थात् रु०-6,000/- प्रतिवर्ष की दर से विद्युत व्यय वहन किया जाना प्रावधानित है।

4. उपर्युक्त के आलोक में योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय (Administrative Expenses) मद के तहत व्यय दर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रु०-2,000/- वार्षिक को वर्द्धित कर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रु०-8,000/- प्रतिवर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। एतद् वर्द्धित निधि से आँगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत व्यय का वहन किया जायेगा।

उपर्युक्त आगत व्यय वहन केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60 : 40 के अनुपात में किया जायेगा।

5. उपर्युक्त के फलस्वरूप योजनान्तर्गत केन्द्रांश में रु०-1396.728 लाख एवं राज्यांश में रु०-931.152 लाख अर्थात् कुल रु०-2327.88 लाख का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार संभावित है। जबकि

वर्तमान वित्तीय वर्ष-2025-26 (अन्तिम तीन तिमाही) में केन्द्रांश में रु०-1047.546 लाख एवं राज्यांश में रु०-698.364 लाख अर्थात् कुल रु०-1745.91 लाख संभावित है।

6. योजना कार्यान्वयन पर आगत व्यय का वहन हेतु राशि राज्य मद के :-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप-मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-51-समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) ;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना - बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप-मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण, उप शीर्ष-51-समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) ;

— के उपयुक्त शीर्ष के तहत विकलनीय होगा।

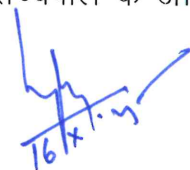
7. विचारित मद संदर्भित योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रांश अधीन रु०-24164.40 लाख एवं राज्यांश अधीन रु०-16109.61 लाख अर्थात् कुल रु०-40274.01 लाख बजट उपबंध प्राप्त है।

8. एतद् संबंधी प्रावधान संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। इस संबंध में निर्गत पूर्व के राज्यादेश इस हद तक संशोधित होंगे।

9. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-14.10.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-06 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



(मनोज कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : - 05/म०स०/के०प्रा०यो० (ICDS)-96/2018-3147 राँची, दिनांक :- 16-10-2024

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई० गजट को अनुलग्नक सहित राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।



(मनोज कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : - 05/म०स०/के०प्रा०यो० (ICDS)-96/2018-3147 राँची, दिनांक :- 16-10-2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/परियोजना निदेशक, झारखण्ड महिला विकास समिति, झारखण्ड, राँची/निःशक्तता आयुक्त, राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, झारखण्ड राज्य पोषण मिशन, राँची/निदेशक, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, राँची/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड/सभी सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झारखण्ड को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।



(मनोज कुमार)

सरकार के सचिव

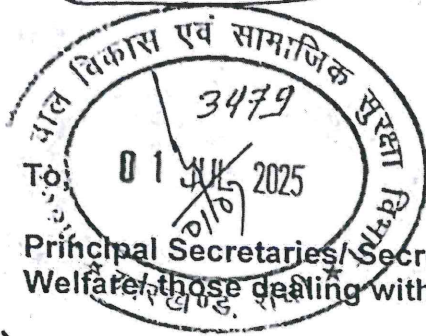
No. CD-II-21/7/2024-CD-II

Government of India

Ministry of Women and Child Development
CD Division

Shastri Bhawan, New Delhi.

Dated: July 1st, 2025



Subject: Enhancement in provision of Administrative Expenses (for providing electricity charges in AWCs) under Anganwadi Services (General) component of Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0-reg

Respected Sir/Madam,

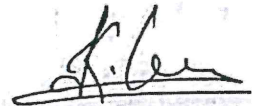
I am directed to inform that Anganwadi Centres (AWCs) plays a pivotal role in providing essential services such as early childhood education, nutrition, health check-ups, and immunization. These centres also serve as a crucial point for community-based health and welfare initiatives for mothers, pregnant women, and young children.

2. It has been observed that many AWCs are still operating without access to electricity. In order to ensure saturation of electricity facility in AWCs, it has been decided to provide financial support for electricity charges @ Rs 500 per month per AWC for remaining 3 quarters of F.Y. 2025-26 to only those AWCs which have electricity connection as per Poshan Tracker. Since the nature of expenditure is administrative, this shall fall under the administrative expenses as part of Anganwadi Services (General) funds. Thus, the current cost norms of administrative expenses have been enhanced from @ Rs 2000/- per AWC per year to Rs 8000/- per AWC (increased by Rs. 6000/year for electricity charges) for F.Y. 2025-26 only for those Anganwadi Centres which actually have electricity connection as per Poshan Tracker.

3. The release of funds for electricity charges as part of Administrative Expenses under Anganwadi Services (General) Funds will be on the basis of Poshan Tracker Data as given in the following table:

S No.	Quarter for which Funds are to be released	No. of AWCs to be considered for the release of monthly electricity charges @ Rs. 500/- per AWC as part of Admin Expenses for the Quarter.
i	2nd Quarter	AWCs with electricity connection as per Poshan Tracker Data on 20 th June
ii	3rd Quarter	AWCs with electricity connection as per Poshan Tracker Data on 20 th September
iii	4th Quarter	AWCs with electricity connection as per Poshan Tracker Data on 20 th December

4. The funds will be provided under Anganwadi Services (General) component as part of Administrative Expenses only in the prevailing cost sharing ratio.
5. In the current F.Y. 2025-26, such funds will be provided only for the remaining 3 quarters.
6. This issues with the approval of competent authority.



(Kumar Gaurav)

Under Secretary to the Govt. of India

Copy to:

- 1) PS to HMWCD.
2. Joint Secretary, Poshan Division, MWCD
- 2) Directors/Commissioners dealing with Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, all States/UTs.